



बिहार बागवानी विकास सोसाईटी, पटना (बिहार राज्य बागवानी मिशन)

बैरक संख्या - 13, मुख्य सचिवालय परिसर, पटना-800015, फोन नं. + फैक्स : 0612-2215215, E-mail : md-hort-bih@nic.in

उद्यानिक फलदार पौधों की आपूर्ति हेतु निविदा का आमंत्रण।

इच्छुक सरकारी संस्थाओं/सरकारी कम्पनियों से अनानास, लीची, पपीता, अमरुद, बेल, आँवला, शरीफा, बेर, जामुन एवं कटहल के उन्नत एवं ग्राफटेड पौध रोपण सामग्रियों के क्रय हेतु निर्धारित प्रपत्र में मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक **10.05.2013** को अपराह्न **3.00** बजे तक मिशन निदेशक, बिहार राज्य बागवानी मिशन, पटना को संबोधित करते हुए बैरक संख्या - 13, मुख्य सचिवालय परिसर, पटना-800015, में रु0 500.00 (पाँच सौ) रुपये मात्र नकद भुगतान कर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है, अथवा बिहार बागवानी मिशन के वेबसाईट से डाउनलोड कर रु0 500.00 (पाँच सौ) रुपये का बैंक ड्राफ्ट के साथ उपर्युक्त निर्धारित अवधि में जमा किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र के साथ रु0 50,000.00 (पचास हजार रुपये) का बैंक ड्राफ्ट बिहार बागवानी विकास सोसायटी, पटना के पक्ष में अग्रधन राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि तक प्राप्त निविदा पत्रों को उसी दिन 4.30 बजे मिशन निदेशक, बिहार राज्य बागवानी मिशन, पटना के कार्यालय कक्ष में मूल्यांकन समिति के समक्ष निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली जायेगी। पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा प्रपत्र दिनांक **10.05.2013** को अपराह्न **3.00** बजे तक लिफाफे में मुहरबंद कर मिशन मुख्यालय, पटना में जमा करना होगा। तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग लिफाफे में मुहरबंद कर एक बड़े लिफाफे में एक साथ मुहरबंद होनी चाहिए। तकनीकी निविदा वाले लिफाफे में बैंक ड्राफ्ट ₹50,000.00 (पचास हजार रुपया), प्रपत्र-1, प्रपत्र-2 एवं प्रपत्र-3 संलग्न करना है। वित्तीय निविदा वाले लिफाफे में प्रपत्र-4 संलग्न करना है। **Bid for Planting Material** लिखना अनिवार्य है। लिफाफा मुहरबंद नहीं रहने पर निविदा रद्द की जा सकती है। आवश्यकतानुसार निविदादाताओं के नर्सरियों/प्रयोगशालाओं तथा उसमें उपलब्ध रोपण सामग्रियों का निरीक्षण किया जा सकता है। बिना कोई कारण बताये किसी भी या सभी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त करने का अधिकार मिशन निदेशक, बिहार राज्य बागवानी मिशन, पटना के पास सुरक्षित रहेगा।

मिशन निदेशक

प्रपत्र – I
(तकनीकी निविदा हेतु)

गुणवत्तापूर्ण पौध रोपण सामग्री की उपलब्धता एवं आपूर्ति के संबंध में निम्न प्रपत्र संलग्न है :-

क्रमांक	फल पौधा का नाम	पौध लगाने का उपयुक्त समय	प्रभेद	नर्सरियों / प्रयोगशालाओं का नाम (रकबा / क्षमता के साथ)	प्रति माह उत्पादित होने वाली पौध रोपण सामग्री की संख्या	आपूर्ति हेतु उपलब्ध पौध रोपण सामग्री की संख्या	माहवार आपूर्ति की जाने वाली पौध रोपण सामग्री की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अनानास							
2	लीची							
3	पपीता							
4	अमरुद							
5	बेल							
6	ऑवला							
7	शरीफा							
8	बेर							
9	कटहल							
10	जामुन							
कुल योग								

नोट- विस्तृत जानकारी निविदा के साथ संलग्न नियम एवं शर्त पृष्ठ पर देखा जा सकता है।

विवरणी :-

- सरकारी संस्थान / सरकारी कम्पनी का नाम एवं पता
- सम्पर्क पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम
- दूरभाष / मोबाईल संख्या :-

उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं।

निविदादाता के अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर
मुहर सहित

प्रपत्र – II
नियम एवं शर्त
(तकनीकी निविदा हेतु)

1. निविदा में सरकारी संस्थान/सरकारी कम्पनी भाग लेने के लिए वैध होंगे।
2. निविदादाता द्वारा नोटरी पब्लिक के माध्यम से 100 (एक सौ) रुपये के नन-जूडिषियल स्टाम्प पेपर पर निम्नलिखित आशय का शपथ पत्र देना होगा:-
 - क. उनके संस्थान में उत्पादित पौध रोपण सामग्री गुणवत्तायुक्त है।
 - ख. उनके संस्थान द्वारा आपूरित सामग्री उनके अपने नर्सरी/प्रयोगशाला की ही होगी। किसी भी परिस्थिति में संस्थान द्वारा अन्य संस्थान/व्यक्ति द्वारा उत्पादित पौध सामग्री बिहार सरकार को आपूर्ति नहीं की जायेगी।
 - ग. उनके संस्थान को पौध रोपण सामग्रियों के संबंध में किसी भी राज्य में काली सूची में नहीं डाला गया है।
 - घ. निविदादाता के संबंध में किसी न्यायालय में कोई वाद लम्बित नहीं है। (अगर वाद विचाराधीन हो तो उसका पूर्ण ब्यौरा अलग से दिया जायेगा।)
3. बिहार राज्य में अनानास, लीची, पपीता, अमरुद, बेल, आँवला, शरीफा, बेर, जामुन एवं कटहल के उन्नत एवं ग्राफटेड गुणवत्तापूर्ण पौध रोपण सामग्रियों के लिए ही आपूर्ति किया जाना है।
4. निविदा प्रपत्र के साथ रु0 50,000.00 (पचास हजार रुपये) का ड्राफ्ट बिहार बागवानी विकास सोसायटी, पटना के पक्ष में जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा।
5. निविदादाताओं द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाली अनानास, लीची, पपीता, अमरुद, बेल, आँवला, शरीफा, बेर, जामुन एवं कटहल के उन्नत एवं ग्राफटेड पौध रोपण सामग्रियों के नर्सरियों/प्रयोगशालाओं की विवरणी उपलब्ध पौध रोपण सामग्री की मात्रा आदि की विवरणी तकनीकी निविदा के साथ अंकित करना आवश्यक है अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. जिलावार अनानास, लीची, पपीता, अमरुद, बेल, आँवला, शरीफा, बेर, जामुन एवं कटहल के उन्नत एवं ग्राफटेड पौध रोपण सामग्रियों को उस जिले के सभी चयनित प्रखण्डों में किसानों के बीच निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों की सूची निविदादाता को कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।
7. अनानास, लीची, पपीता, अमरुद, बेल, आँवला, शरीफा, बेर, जामुन एवं कटहल के उन्नत एवं ग्राफटेड पौध रोपण सामग्रियों में टैग लगा होना अनिवार्य होगा। सभी प्रकार के कीट/रोग मुक्त होने संबंधी प्रमाण पत्र आपूर्ति के समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा अन्यथा आपूर्ति नहीं ली जायेगी।

प्रपत्र – II

8. पौध रोपण सामग्री के टैग पर निम्न बातें अंकित होनी चाहिए :-
- केवल बिहार राज्य में बागवानी मिशन कार्यक्रमों के तहत वितरण के लिए।
 - फल पौधा का प्रभेद।
 - उम्र
 - आपूर्तिकर्ता सरकारी संस्थान का नाम लिखा होगा।
9. बन्द लिफाफे के ऊपर निविदादाता सरकारी संस्था/सरकारी कम्पनी का नाम एवं पता अंकित होगा जो मिशन निदेशक, बिहार राज्य बागवानी मिशन, पटना को संबोधित करते हुए बैरक संख्या-13, मुख्य सचिवालय परिसर, पटना-800015, को प्रेषित होगा।
10. चयनित होने पर आपूर्ति बिहार के विभिन्न जिलों में कार्यादेश में अंकित तिथि तक करना अनिवार्य होगा। ससमय आपूर्ति नहीं करने पर आपूर्ति आदेश रद्द करते हुए काली सूची में दर्ज किया जा सकता है।
11. निविदा पत्र को भरने में हस्तलिखित के बदले टंकित किया जाय एवं आवश्यकतानुसार कॉलम को भरने में अतिरिक्त पृष्ठ का इस्तेमाल किया जा सकता है। निविदा पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता संस्था के अधिकृत पदाधिकारी/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर मुहर सहित अनिवार्य होगा।
12. निविदादाता द्वारा अंकित कोई भी शर्त मान्य नहीं होगा।

उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं।

निविदादाता के अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर
मुहर सहित

प्रपत्र – III

(तकनीकी निविदा हेतु) शर्तें एवं बंधेज

1. दर प्रति पौधा अंकित करना होगा जिसमें सभी प्रकार का डीलर कमीशन, परिवहन, हस्तालन एवं जिला तथा प्रखण्ड स्तर पर किसानों के बीच वितरण तक व्यय की गई राशि शामिल होगा।
2. निविदादाता को अपने व्यय से आवश्यकतानुसार बिहार के सभी जिलों/प्रखण्डों में अनानास, लीची, पपीता, अमरुद, बेल, आँवला, शरीफा, बेर, जामुन एवं कटहल के उन्नत एवं ग्राफ्टेड पौध रोपण सामग्रियाँ उपलब्ध कराना होगा।
3. अनानास, लीची, पपीता, अमरुद, बेल, आँवला, शरीफा, बेर, जामुन एवं कटहल के उन्नत एवं ग्राफ्टेड पौध रोपण सामग्रियों की आपूर्ति बिहार राज्य बागवानी मिशन द्वारा निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम में उपलब्ध कराना होगा। ससमय आपूर्ति नहीं करने पर आपूर्ति आदेश रद्द किया जा सकता है।
4. विभिन्न संस्थाओं को पौध रोपण सामग्री की मात्रा आवंटित करने के लिए मिशन निदेशक, बिहार राज्य बागवानी मिशन, पटना का निर्णय अन्तिम होगा।
5. सरकारी संस्थाओं/सरकारी कम्पनियों संस्थाओं से क्रय करने के लिए मिशन निदेशक, बिहार राज्य बागवानी मिशन, पटना का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
6. निविदा की प्रक्रिया में विवाद की स्थिति में निविदा समाप्ति के उपरान्त अपीलीय परिवाद दायर किया जा सकता है जिसपर मिशन अध्यक्ष-सह-कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना का निर्णय अन्तिम माना जाएगा, जिसे दोनों पक्ष मानने के लिए बाध्य होंगे।
7. अगर किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में विवाद का न्याय अधिकार क्षेत्र पटना जिला होगा।

भुगतान की प्रक्रिया:-

1. सरकारी संस्थाओं/सरकारी कम्पनियों के पदाधिकारी/प्रतिनिधि द्वारा आपूर्ति किए गए पौध रोपण सामग्री के मूल चालान पर प्राप्तकर्ता संबंधित जिला के जिला उद्यान पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा का हस्ताक्षर मुहर सहित बिहार राज्य बागवानी मिशन के मुख्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त 50% राशि का भुगतान जिला उद्यान पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा किया जाएगा।
2. रोपण सामग्री के जॉचोपरान्त शेष 50% राशि का भुगतान किया जाएगा।
3. मानक के अनुरूप पौध रोपण सामग्री नहीं होने पर राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। साथ ही ऐसे पौध रोपण सामग्री की वापसी के लिये बिहार राज्य बागवानी मिशन जिम्मेवार नहीं होगा।

प्रमाण-पत्र

निविदा सूचना से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें मान्य है तथा उक्त शर्त को भली भाँति पढ़कर एवं समझकर हस्ताक्षर किया हूँ।

निविदादाता के अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर
मुहर सहित

प्रपत्र – IV**आवेदन प्रपत्र
(वित्तीय निविदा हेतु)**

1. सरकारी संस्थान/सरकारी कंपनी

नाम एवं पता

.....

2. दर संबंधी विवरणी :-

क्र.	फल पौधा का नाम	पौध लगाने का उपयुक्त समय	प्रभेद	नर्सरियों / प्रयोगशालाओं का नाम (रकवा/क्षमता के साथ)	प्रति माह उत्पादित होने वाली पौध रोपण सामग्री की संख्या	आपूर्ति हेतु उपलब्ध पौध रोपण सामग्री की संख्या	माहवार आपूर्ति की जाने वाली पौध रोपण सामग्री की संख्या	दर प्रति पौधा (लोडिंग अनलोडिंग) सहित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अनानास								
2	लीची								
3	पपीता								
4	अमरुद								
5	बेल								
6	ऑंवला								
7	शरीफा								
8	बेर								
9	कटहल								
10	जामुन								
कुल योग									

उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य है।

निविदादाता के अधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर
मुहर सहित

प्रपत्र- V

पौध रोपण सामग्री का मानक

क्र० सं०	फल का नाम	तकनीकी विशेषताएँ			अभ्युक्ति
		उम्र (वर्ष)	लम्बाई (फीट)	मोटाई (से० मी०) (परिधि)	
1	आम	1.50 - 2.0	3-4	4-5	<p>सभी पौध रोपण सामग्री</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कीट एवं व्याधि मुक्त होना अनिवार्य है। 2. प्रभेदवार टैग होना अनिवार्य है।
2	लीची	1.5 - 2.0	3-4	4-5	
3	कटहल	1.5 - 2.0	3-4	4-5	
4	जामुन	1.5 - 2.0	3-4	4-5	
5	अमरूद	1.0 - 1.5	3-4	3-4	
6	आँवला	1.0 - 1.5	3-4	3-4	
7	बेल	1.0 - 1.5	3-4	3-4	
8	बेर	1.0 - 1.5	3-4	3-4	
9	अनानास	5 - 6 माह	0.6 - 1.0	5-6	
10	पपीता	2 - 3 माह	0.6	1.0-1.5	
11	शरीफा	1.0 - 1.5	2-3	2-3	

नोट:- अनानास Slips 300-450 ग्राम और Suckers 500-750 ग्राम